

suspension) *inter-alia* on the charge of indiscriminate supply of Janta Handloom Textiles without always obtaining the permission of authorities as required under the Head Office instructions, is in progress. Final action in the case could be taken by the NCCF only on receipt of the advice from the Central Vigilance Commission, which is awaited.

Loss to Bombay branch of NCCF

108. SHRI ISH DUTT YADAV: Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES, be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 2987 given in the Rajya Sabha on the 19th August, 1989 and state;

(a) what disciplinary action has been taken agaist the officers found guilty in the Rabi purchase '87 of Akola Depot, Bombay branch of NCCF; and

(b) if no action has been taken what are the reasons therefor and by when the final decision is likely to be taken by Government?

THE MINISTER OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI NATHU RAM MIRDHA): (a) and (b) The Depot Incharge of Akola, who was primarily involved in the purchases is no longer in the service of NCCF. No action can be taken against him.

Development of Missile capability in the country

109. SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state;

(a) whether Government intend to proceed further ahead with development of IRBM missile capability since the testing of "Agni" and "Prithvi"; and

(b) whether Government have plans to develop ICMB capability?

THE PRIME MINISTER (SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH): (a) Prithvi is a battle-field tactical missile and is not of the IRBM class. AGNI is a technology demonstrator

aimed at proving some of the technologies concerning guidance, control and re-entry.

महाराष्ट्र को मिट्टी के तेल को कम सप्लाई

110. श्री विश्वासराव रामराव पटेल : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृषा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार से मिट्टी के तेल, गेहूं तथा आयातित बनस्पति तेलों की कम सप्लाई किए जाने के विशद विकायत की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ज्ञान क्या है ; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री नथु राम मिधी) : (क) से (ग) महाराष्ट्र सरकार से मिट्टी का तेल, गेहूं और आयातित खाद्य तेलों के आवंटन में वृद्धि करने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं। प्रत्येक वस्तु के बारे में स्थिति नीचे दी गई है :

मिट्टी का तेल: महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों को मिट्टी के तेल वा आवंटन प्रदलित नीति के अनुसार विधा जाता है। मिट्टी के तेल वा अतिरिक्त आवंटन करने के लिए महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त अनुरोधों को समय-समय पर पूरा किया जाता रहा है। जुलाई, 1989 में नवम्बर, 1989 की अवधि में इस राज्य को सामान्य आवंटन के साथ-साथ 30,582 मी० टन का अतिरिक्त आवंटन किया गया था।

गेहूं : केन्द्रीय पूल से गेहूं का आवंटन खुले बाजार में उपलब्ध भावा की कमी को पूरा करने हेतु किया जाता है और राज्य सरकारों/सर्व शासित क्षेत्रों द्वारा की गई मांग, बाजार में उपलब्धता, भंडार की स्थिति और अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए मासिक आधार पर किया जाता है। महाराष्ट्र सरकार ने अंतिमी

दो तीन महीनों के लिए प्रति मास 1.5 लाख मी०टन गेहूँ का आवंटन करने के लिए सितम्बर, 89 में अनुरोध प्राप्त हुआ था। इसके मुकाबले इस राज्य को सितम्बर से जनवरी, 1990 के महीनों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु किए गए आवंटन का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

<u>माह</u>	<u>आवंटन ('000 मी०टन में)</u>
सितम्बर, 89	100.0
अक्टूबर, 89	125.0
नवंबर, 89	150.00
दिसम्बर, 89	100.0
जनवरी, 90	100.0

खाद्य तेल: राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को आयातित खाद्य तेलों के आवंटन के समय राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से मांग, खुले बाजार में देशी तेलों की उपलब्धता और मूल्यों, सरकार के पास तेल के भंडारों और संबंधित बातों को ध्यान में रखा जाता है। इस आवंटन का उद्देश्य उचित मूल्यों पर देशी खाद्य तेलों की कमी को प्रेरा करना है और राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की सम्पूर्ण मांग को पूरा करना नहीं है।

इप समय भारतीय को आयातित खाद्य तेल में से 6,500 मी०टन का आवंटन किया जा रहा है जो पूरे देश के लिए समस्त आवंटन का एक बड़ा हिस्सा है।

भारतीय में खुली बिक्री की चीनी (फ्री सेल शूगर) के कोटे में बढ़ि

111. श्री विश्वासराव रामाराव वाटिलः क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सरकार ने केन्द्र सरकार को लिखा है कि मई, 1989 में खुली बिक्री की चीनी (फ्री सेल शूगर) की कीमतों में बढ़ि हुई है जिसके कारण खुली बिक्री की चीनी की सलाई में कमी आ गई है;

(ब) क्या यह भी सच है कि भारतीय सरकार ने सरकार से निवेदन

किया है कि पर्याप्त मात्रा में खुली बिक्री की चीनी की पूर्ति भारतीय सरकार को समय रहते की जाए जिससे कि खुले बाजार में बढ़ती हुई कीमते रोकने में मदद मिले;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अधीरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री नाथ राम मिठार्डी) : (क) से (घ) आंशिक नियंत्रण की वर्तमान नीति के अधीन देश में चीनी के किसी भी लाइसेंसदा थोक व्यापारी को बिक्री करने के लिए फैक्ट्रियों से मुक्त बिक्री की चीनी निर्मुक्त की जाती है। भास के दौरान पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित करने और सौम्य के लिए समूची स्टॉक स्थिति को ध्यान में रखते हुए मई, 1989 के महीने के लिए आंशिक मुक्त बिक्री का 5 लाख मीटरी टन स्वदेशी चीनी का कोटा निर्मुक्त किया गया था जबकि नई, 1988 में 4.50 लाख मीटरी टन का कोटा निर्मुक्त किया गया था।

तथापि, मई, 1989 में भारतीय सरकार से एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये वितरित करने के लिए 500 मीटरी टन मुक्त बिक्री की आयातित चीनी निर्मुक्त करने के लिए अनुरोध किया गया था। उस समय विभिन्न राज्यों में भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध सौमूली बचे स्टॉक तक ही आयातित चीनी के आवंटन की सीमित रख गया था। अतः भारतीय खाद्य निगम के पास भारतीय खुली बिक्री की थोड़ी मात्रा नियंत्रित माध्यमों से बिक्री करने के लिए भारतीय सरकार को मृहेया की गई थी।

Manufacture of Electronic Goods in the Country

112. DR. MOHD. HASHIM KIDWAI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state;